न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2006 निगरानी

1. रामफूल
2. मोहन लाल
3. हरगोविन्द
4. रामदयाल

पिसरान रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी मोराडी हाल निवासी पामाडी तहसील बसवा

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. ग्राम पंचायत पीचूपाडा खुर्द तहसील बसवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पीचूपाडा खुर्द तहसील बसवा
2. ग्राम पंचायत उनबडागॉव तहसील बसवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उनबडागॉव तहसील बसवा

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति बांदीकुई दिनांक 27.04.2006 जो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पीचूपाडा खुर्द पर पारित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता निगरानीकर्तागण।
: श्री वरूण नगर अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता 1 उपस्थित ।

—:निर्णयः— दिनांकः 14.12.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी नम्बर 01 ने एक प्रार्थना पत्र अतिक्रमण हटवाने बाबत पेश कर, प्रार्थीगण को नोटिस दिये बिना व बिना प्रार्थीगण को सुनवाई व सबुत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जॉच किये ही बिना प्रार्थीगण के पटटे व कब्जे की भूमि मे होकर रास्ता न होने के बावजूद भी रास्ता होना बताकर ग्राम पंचायत उनबडागॉव द्वारा प्रार्थीगण के हक में जारी पटटा दिनांक 12.08.86 को प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति बांदीकुई ने दिनांक 27.04.2006 को विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण के पटटे को निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 27.04.2006 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.04.2006 विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुनवाई व सबुत का अवसर दिये बिना, बिना कोई जॉच किये उक्त निर्णय पारित किया गया है। प्रशासन एवं स्थाई समिति के समक्ष अपील ही पेश हो सकती है एवं अपील भी मियाद में हो तो सुनकर निस्तारण किया जा सकता है किन्तु प्रश्नगत निर्णय द्वारा 20 वर्ष पुराने पटटे को कानून के विपरित तरिके से निरस्त कर दिया। जिसमे न तो ग्राम पंचायत से रिकार्ड मंगवाया न ही निगरानीकार को सुना गया। ग्राम पामाडी स्थित प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि को ग्राम पंचायत ने विधि प्रक्रिया अपनाकर के प्रार्थीगण को पटटा जारी किया है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण की दुकाने बनी हुई है तथा कुछ भूमि खाली है जिसमे पत्थर आदि पडे हुए है तथा दीवार बनी हुई है। प्रार्थीगण की भूमि में कभी भी कोई रास्ता नही रहा ना ही आज कोई रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित करके प्रार्थीगण का पटटा खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः निगरानी मन्जूर फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति बांदीकुई के निर्णय दिनांक 27.04.2006 को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं. 01 द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया की निगरानीकार द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2006 की प्रति का अवलोकन करने पर निर्णय में अंकितानुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत उनबडागॉव द्वारा जारी प्रार्थीगण को पटटा वर्ष 1986 मे जारी किया है जिस पर पत्रावली संख्या आदि कुछ भी अंकित नही है। न ही रसीद बुक में क्रम संख्या आदि भी अंकित नही है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सचिव ग्राम पचायत उनबडागाव से रिकार्ड मागां गया तो, रिकार्ड अनुपलब्ध होना व्यक्त किया गया। ऐसी स्थिति में जो पटटा जारी किया गया है वह संदेहास्पद व गलत है। जिसके कारण प्रार्थीगण को जारी पटटे को दिनांक 27.04.2006 को निरस्त किया गया है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.04.2006 से सम्बन्धित मूल रिकार्ड उपलब्ध नही होना विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई द्वारा व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति बांदीकुई के निर्णय दिनांक 27.04.2006 जिसके विरूद्ध निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है, उक्त निर्णय दिनांक 27.04.2006 प्रभाव शून्य किया जाकर प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की जांच कर विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(सजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 14.12..2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सजवीर सिंह चौधरी)